



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-13112021-231100
CG-DL-E-13112021-231100

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4312]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 11, 2021/ कार्तिक 20, 1943

No. 4312]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 11, 2021/KARTIKA 20, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 नवम्बर, 2021

का.आ. 4677(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 क की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के 0+000 कि.मी. से 16+400 कि.मी. तक के भूखण्ड (महाराष्ट्र सेक्शन) के निर्माण (चौड़ा करने/चार लेन का बनाने, आदि), अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए वह भूमि अपेक्षित है, जिसका संक्षिप्त वर्णन नीचे अनुसूची में दिया गया है, ऐसी भूमि का अर्जन करने के अपने आषय की घोषणा करती है;

कोई भी व्यक्ति, जो उक्त भूमि में हितबद्ध है, उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के उपयोग पर राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इक्कीस दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रकट कर सकेगा।

ऐसी प्रत्येक आपत्ति सक्षम प्राधिकारी, अर्थात् उप जिला अधिकारी, भूमि संपादन क्र. 3, सोलापूर को लिखित रूप में प्रस्तुत की जाएगी और उसमें उसके आधार अधिकथित किए जाएंगे और सक्षम प्राधिकारी, आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या किसी विधि व्यवसायी द्वारा सुने जाने का अवसर देगा और ऐसी आक्षेपों की सुनवाई करने के पश्चात् तथा ऐसी और

जाँच करने के पश्चात्, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 3ग की उप-धारा (2) के अधीन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई भी आदेश अंतिम होगा।

इस अधिसूचना के अंतर्गत आने वाली भूमि के रेखांक और अन्य ब्यौरे सक्षम प्राधिकारी के उक्त कार्यालय में उपलब्ध हैं और उनका हितबद्ध व्यक्तियों द्वारा निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के सोलापूर जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 211 (अब नया राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 52) के कि.मी. 0/000 से 16/400 कि.मी. (महाराष्ट्र सेक्शन) तक के लिए अर्जन की जानेवाली संरचना सहित अथवा संरचना रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

राज्य का नाम: महाराष्ट्र		जिले का नाम: सोलापूर			
क्रमिक संख्या	सर्वेक्षण संख्या	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्रफल (स्थानीय इकाई)	भूमि का क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
तालुक का नाम: उत्तर सोलापूर					
गांव का नाम: हिप्परगे					
1	18/1	निजी	शुष्क	0.0300000(हेक्टेयर)	0.0300000
गांव का नाम: शेलगी					
1	51/1	निजी	शुष्क	0.1100000(हेक्टेयर)	0.1100000
तालुक का नाम: दक्षिण सोलापूर					
गांव का नाम: कासेगांव					
1	382/1 Pt.	निजी	शुष्क	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
2	382/2 Pt.	निजी	शुष्क	0.2700000(हेक्टेयर)	0.2700000
3	427/1	निजी	अकृषिक	0.1300000(हेक्टेयर)	0.1300000
गांव का नाम: उळे					
1	18	निजी	शुष्क	0.0600000(हेक्टेयर)	0.0600000
कुल				0.6600	0.6600

[फा. सं. NHAI/LA/11013/Mah/Solapur/2010/3A]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 11th November, 2021

S.O. 4677(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which is given in the Schedule below, is required for building (four-laning), maintenance, management and operation of National Highway No. 211 (now New NH No. 52), in the stretch of land from Km. 0+000 to Km. 16+400 in District Solapur (Maharashtra Section) in the State of Maharashtra, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within Twenty-One days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, object to the use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of Section 3C of the said Act.

Every such objection shall be made to the Competent Authority, namely the Deputy Collector, Land Acquisition No. 3, Solapur in writing and shall set-out the grounds there of and the Competent Authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by a legal practitioner, and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the Competent Authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made the Competent Authority under sub-section (2) of section 3C of the said Act, shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person, at the aforesaid office of the Competent Authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from KM. 0/000 to KM. 16/400 in Solapur District (Maharashtra Section) on the National Highways No. 211 (now New NH No. 52) in the state of Maharashtra.

State: MAHARASHTRA		District: SOLAPUR			
Sr. No.	Survey / Plot Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Local Unit)	Area (in Hectare)
Taluk: North Solapur					
Village: Hipprage					
1	18/1	Private	Dry	0.0300000(Hectare)	0.0300000
Village: Shelagi					
1	51/1	Private	Dry	0.1100000(Hectare)	0.1100000
Taluk: Solapur South					
Village: Kasegaon					
1	382/1 Pt.	Private	Dry	0.0600000(Hectare)	0.0600000
2	382/2 Pt.	Private	Dry	0.2700000(Hectare)	0.2700000
3	427/1	Private	Non Agriculture	0.1300000(Hectare)	0.1300000
Village: Ule					
1	18	Private	Dry	0.0600000(Hectare)	0.0600000
Total				0.6600	0.6600

[F. No. NHAI/LA/11013/Mah/Solapur/2010/3A]

RAJESH GUPTA, Director